

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ – महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 21/NRHM/ASHA-4/09/3863

जयपुर दिनांक : 2.9.09

क्रमांक : F-26(4)/AS/T&C/ICDS/09/54/50


जयपुर दिनांक : 2.9.09

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
2. उपनिदेशक (बाल विकास),
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त


विषय:- आशा सहयोगिनी के कार्यों की समीक्षा एवं उनको देय राशि के भुगतान के संबंध में।

आशा-सहयोगिनी के कार्यों की समीक्षा तथा उसको प्रदान किये जाने वाले भुगतानों के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आशा सहयोगिनी के कार्यों की समीक्षा प्रत्येक माह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित होने वाली बैठक में की जावे। इस मासिक बैठक में प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, एल.एच. वी., ए.एन.एम., पर्यवेक्षक तथा आशा सहयोगिनी भाग लेंगी तथा संयुक्त रूप से समस्त आशा सहयोगिनियों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। आशा सहयोगिनियों को मिशन के तहत प्राप्त होने वाली एकीकृत प्रेरक राशि (रु. 450/-) का भुगतान, प्रति माह पी.एच.सी. स्तर पर आयोजित आशा सहयोगिनियों की बैठक में उनकी उपस्थिति-सुनिश्चितता परघात, मासिक बैठक में ही देय होगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त मासिक मानदेय राशि 500/-रुपए का भुगतान, पी.एच.सी. स्तर पर आशा सहयोगिनियों की मासिक बैठक में संबंधित पर्यवेक्षक व पी.एच.सी. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा आशा सहयोगिनियों की उपस्थिति प्रमाणित की जाएगी। किसी की अनुपस्थिति में उपस्थिति पर्यवेक्षक / चिकित्सा अधिकारी प्रभारी उपस्थिति प्रमाणित करेंगे। उपस्थिति प्रमाणित होने के बाद ही बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से भुगतान किया जावेगा।


(बी. प्रवीण)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ


(डॉ. एम. एल. जैन)
निदेशक

आर.सी.एच., जयपुर

क्रमांक : F-26(4)/AS/T&C/ICDS/09/54/50

जयपुर दिनांक : 2.9.09

क्रमांक : F 21/NRHM/ASHA-4/09/3863

जयपुर दिनांक : 2.9.09

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, NRHM, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक, एन.आर.एच.एम., स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
6. समस्त, जिला कलेक्टर।
7. जोन निदेशक, समस्त संभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, / कंसलटेंट आशा, एन.आर.एच.एम।
9. डिविजनल एम.सी.एच. कोर्डिनेटर कोटा/अजमेर/उदयपुर/ बीकानेर ।
10. सर्वर प्रभारी, कमरा संख्या 302
11. रक्षित पत्रावली


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ


निदेशक

आर.सी.एच., जयपुर